कार्यालय प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर
उधम सिंह नगर –263145

पत्रांक–जी0एस0 / 278

दिनॉक: 03-03-2021

उद्यान अनुभाग के अर्न्तगत तराई भवन के निकट स्थित अन्दर व बाहर वाले बाग की फलदार वृक्षों की वर्ष 2021–22 फल फसल तक की नीलामी किये जाने वाले फलदार वृक्षों की सूची एवं शर्तों का विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	प्रजाति का नाम	फलत में आये वृक्षो की संख्या
1.	लीची	118
2.	आम	122
	योग	240

शर्ते :–

1. यह ठेका केवल फल फसल तक वैध होगा। फल समाप्त होने पर ठेकेदार को बाग छोड़ना होगा।
2. लीची के 5000 दाने किसी भी पेड़ से किसी भी समय अतिथियों द्वारा स्वयं तोड़े जायेगे।
3. आम के 500 दाने किसी पेड़ से किसी भी समय अतिथियों द्वारा स्वयं तोड़े जायेगे।
4. लीची के 02 पेड़ तराई भवन के अन्दर (एक बेदाना एक कलकतिया) छोड़ने होंगे।
5. किचिन गार्डन तराई भवन के पेड़ों को नीलामी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसकी जानकारी / गिनती कार्यालय एवं तराई भवन में स्थित माली से प्राप्त की जा सकती है।
6. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बाग का भली भॉति निरीक्षण कर लें। बाग की बिक्री के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनॉक 17.03.2021 को अपराह्न 2:30 बजे तक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा में क्वालीफाइंग मनी के रूप में रू0 10,000.00 नकद जमा करने के बाद नीलामी में भाग ले सकते हैं।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धनराशि रू0 10,000.00 को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई राशि को नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद लौटा दी जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की राशि का 20 प्रतिशत अग्रिम के रूप में बोली समाप्ति के तुरन्त पश्चात जमा करना होगा। इस राशि में पहले जमा की गई राशि रू0 10,000.00 समायोजित नही की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता उक्त 20 प्रतिशत राशि को जमा कर देने में असमर्थ / असफल रहता है तो उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि रू0 10,000.00 जब्त कर ली जायेगी।
10. नीलामी समिति को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताये एक अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकृत कर सकती है।
11. कुलपति महोदय द्वारा बोली स्वीकृत हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण की तिथि से 01 माह के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा की गई राशि रू0 10,000.00 समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा एक सप्ताह तक 1.5 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के साथ कब्जा ले सकता है उसके पश्चात ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने से पूर्व ठेके की 10 प्रतिशत धनराशि सुरक्षा धन के रूप में विश्वविद्यालय कोष में अलग से जमा करनी होगी। सुरक्षा धनराशि ठेके के अन्त तक विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी। ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार द्वारा सुरक्षा धनराशि वापस प्राप्त करने का आवेदन करने पर प्रभारी अधिकारी, उद्यान अनुभाग की संस्तुति पर नियन्त्रक द्वारा नियमानुसार सुरक्षा धनराशि वापस की जायेगी। सुरक्षा धनराशि विश्वविद्यालय के कोष में जमा करने की अवधि का कोई ब्याज विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। यदि ठेकेदार निश्चित तिथि तक उपरोक्त धनराशि जमा नही कर पाता है तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा पहले जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
12. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के सुलझाने के लिये माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार उनके अथवा उनके द्वारा मनोनित अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. फलों को बाग / परिसर से बाहर ले जाने के लिये ठेकेदार को इस अनुभाग से गेटपास प्राप्त करना होगा।

क्रमशः

14. ठेकेदार को अपना परिचय प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विभागाध्यक्ष अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, बाग का कब्जा लेने से पूर्व उद्यान अनुभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
15. बाग की सफाई, फलों की रक्षा एवं फलों को लाने ले जाने की समस्त जिम्मेदारी बाग के ठेकेदार की होगी।
16. ठेका समाप्त होने के दिन ठेकेदार सभी पके फल तोड़ सकता है। ठेकेदार द्वारा स्वयं या उसके आदमियों के द्वारा बाग के कच्चे तथा अधपके फलों तथा वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो उद्यान अनुभाग द्वारा किया गया क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन ठेकेदार को मान्य होगा तथा क्षति की क्षतिपूर्ती ठेकेदार को करनी होगी।
17. ठेकेदार के किसी भी कार्य से यदि बाग के वृक्षों को किसी प्रकार की हानि होती है तो इस क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
18. ठेकेदार द्वारा या उसके आदमियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की मादक वस्तुओं का उपयोग या व्यापार नहीं किया जायेगा।
19. **ठेकेदार द्वारा प्रभारी अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी, पन्तनगर से स्वयं का तथा बाग पर लगाये गये अपने आदमियों का परिचय पत्र बनवाना होगा।**
20. ठेकेदार द्वारा बाग का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
21. ठेके की शर्तो के पालनार्थ ठेकेदार को स्वंय के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 एक सौ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने के दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
22. नीलामी की गई फलदार फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को अनुभाग की अन्य फसलो से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार, उद्यान अनुभाग अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
23. ठेकेदार को बाग की सफाई, सिंचाई फसल की सुरक्षा, रोग एवं कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई/ढुलाई आदि कार्य स्वंय करने होंगे। ठेके की अवधि में बागों में रासायनों/कीटनाशकों के छिड़काव करने से पूर्व ठेकेदार को केन्द्र से कीट विशेषज्ञ अथवा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
24. **बाग की सिंचाई में होने वाले विद्युत व्यय का विद्युत शुल्क, डीजल पर व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।**
25. ठेकेदार को उक्त सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो ठेकेदार के विरूध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धो के साथ उद्यान अनुभाग के अंतर्गत तराई भवन स्थित अन्दर व बाहर वाले फलदार वृक्षों की वर्ष 2021–22 की नीलामी, सार्वजनिक बोली के द्वारा दिनाँक 17.03.2021 को अपराह्न 2:30 बजे से उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा में निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार की जायेगी।

2/3/2021

प्रभारी अधिकारी
उद्यान अनुभाग

Officer Incharge
Garden Section, G.B.P.U.A.&T.
PANTNAGAR (Nainital) 263145

03/03/21

प्रतिलिपिः –

1. समस्त सूचना पट्टों पर।
2. समस्त संज्ञानित ठेकेदारों को।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।